न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 143/25 तारीख दायर 9/6/25

बद्री पुत्र मोडा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.)

..................प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र कालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. घनश्याम पुत्र कालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
3. मंजु पत्नि सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. जैली पत्नि प्रेमचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 4/7/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 194 पर अंकित आराजी संख्या 1112/165, 1205/165, 1206/1112, 1208/163, 1209/165, 163, 165 कुल किता 7 रकबा 0.66388 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **उक्त मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 194 पर अंकित आराजी संख्या 1112/165, 1205/165, 1206/1112, 1208/163, 1209/165, 163, 165 कुल किता 7 रकबा 0.66388 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 143/25

प्रेषिति :- तारीख दायर 9/6/25

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 143/25 पत्थरगढ़ी बाबत।

बद्री पुत्र मोड़ा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. घनश्याम पुत्र कालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मंजु पत्नि सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. जैली पत्नि प्रेमचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 194 पर अंकित आराजी संख्या 1112/165, 1205/165, 1206/1112, 1208/163, 1209/165, 163, 165 कुल किता 7 रकबा 0.66388 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिशनर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर फीस 500/– रूप्ये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ